बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांकः–15/अ0प्र0–09–08/2025 2425(7) पटना, दिनांक 28.2.25

प्रेषक,

कुमार अनिल सिन्हा
संयुक्त सचिव–सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/
प्रशासनिक पदाधिकारी, ब्राडा/सभी नोडल पदाधिकारी
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार।

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25(1) एवं 25 (2) के तहत बिहार सूचना आयोग में वार्षिक प्रतिवेदन हेतु धारा25(1) एवं 25 (2) के अनुरूप सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– बिहार सूचना आयोग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–1/वि0–05/2025– 1148 बि0सू0आ0, पटना दिनांक 19.02.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषय एंव प्रसंग से संबंधित पत्रों को संलग्न करते हुए कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25(1) के तहत बिहार सूचना आयोग द्वारा अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के समक्ष उपस्थान हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने के संदर्भ में अधिनियम की धारा 25(2) के तहत प्रत्येक विभाग को उनके अधीनस्थ सभी कार्यालयों के सूचना का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन समेकित कर उपलब्ध कराने का निदेश प्राप्त है।

पत्र के साथ दो विहित प्रपत्र संलग्न है। प्रपत्र –1 में लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रपत्र –2 में प्रथम अपीलीय प्राधिकार से संबंधित वर्ष 2023–24 का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सूचना आयोग को समेकित कर उपलब्ध कराना है।

विनिर्दिष्ट अवधि में प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने पर विभागीय निदेश की अवहेलना के लिये संबंधित उक्त कार्यालयों के संबंध में इसे सचिव के संज्ञान में लाते हुए उचित कार्रवाई की बाध्यता होगी।

साथ ही संलग्न सूची में अंकित प्रतिवेदन का मिलान की जाय। ताकि संबंधित कार्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रतिवेदन में विसंगति पाये जाने पर इस संबंध में भी विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध करायें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन

27/2/25
संयुक्त सचिव–सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार

P.T.O

ज्ञापांकः—15 / अ0प्र0—09—08 / 2025 2425(3 पटना, दिनांक 28.2.25

प्रतिलिपिः— सभी मुख्य अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृपया अपने क्षेत्राधीन कार्यालयों यथा कार्य अंचल एवं कार्य प्रमंडल को अपने स्तर से प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दें।

अनुलग्नक—यथोक्त।

27/2/25

संयुक्त सचिव—सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार

ज्ञापांकः—15 / अ0प्र0—09—08 / 2025 2425(3x) पटना, दिनांक 28.2.25

ई—मेल प्रतिलिपिः— आई0टी0मैनेजर, सचिव कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि अविलम्ब संबंधित पदाधिकारी को ई—मेल पते पर सूचना भेज दी जाय।

अनुलग्नक—यथोक्त।

27/2/25

संयुक्त सचिव—सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार

नीलू

लो० सू० शाखा

बिहार सूचना आयोग

सूचना भवन, चतुर्थ तल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बिहार, पटना–800015।

दूरभाष–2215713, 2235059, फैक्स–2235466

संख्या 1/वि0–05/2025...1148...बि0सू0आ0 पटना, दिनांक 19/02/2025

सेवा में,

मुख्य सचिव, बिहार।

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना।

महामहिम राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, राजभवन, पटना।

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव–सभी विभाग।

महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना।

सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय।

सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय।

पुलिस महानिदेशक, बिहार।

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।

सभी जिला पदाधिकारी।

कुल सचिव, सभी विश्वविद्यालय।

विषय– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 (1) एवं धारा–25 (2) के तहत बिहार सूचना आयोग में वार्षिक प्रतिवेदन हेतु धारा–25 (1) एवं धारा–25 (2) के अनुरूप सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 (1) के तहत बिहार सूचना आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में एक वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के समक्ष उपस्थापन हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना एक वैधानिक अनिवार्यता है। अधिनियम की धारा–25 (2) के तहत प्रत्येक विभाग का यह वैधानिक कर्त्तव्य है कि उनके अधीनस्थ सभी लोक प्राधिकारों के संबंध में अधिनियम के प्रावधानानुसार सूचनाओं को संकलित कर उसे बिहार सूचना आयोग को उपलब्ध कराए ताकि अधिनियम के प्रावधानों द्वारा वांछित अपेक्षाओं की पूर्ति हो सके।

2. उल्लिखित तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि अपने–अपने विभागों के अधीनस्थ सभी लोक प्राधिकारों से वित्तीय वर्ष 2023–24 (संलग्न विहित प्रपत्र में प्राप्त कर) से संबंधित वांछित सूचनाओं को संकलित एवं समेकित कर उसे आयोग को निश्चित रूप से पत्र प्राप्त होने के उपरान्त एक माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में संबंधित लोक प्राधिकारों एवं उनके प्रधान पदाधिकारी का नाम आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित करते हुए अग्रेतर कार्रवाई हेतु राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया जाएगा।

3. इस क्रम में यह भी कहना है कि प्रत्येक जिलाधिकारी द्वारा अपने जिले के सभी अधीनस्थ लोक प्राधिकारों पंचायती राज संस्थानों सहित, के संबंध में तथा सभी प्रमंडलायुक्त द्वारा अपने प्रमंडलाधीन जिलों से संबंधित प्रतिवेदनों को संकलित एवं समेकित कर उसे आयोग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक :– प्रपत्र–1 (लोक सूचना पदाधिकारी के लिए), प्रपत्र–2 (प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के लिए)

Sandeep 19.02.25

(संदीप अग्निहोत्री)

विधि पदाधिकारी–सह–प्रभारी सचिव

लोक सूचना पदाधिकारी से संबंधित प्रतिवेदन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के तहत राज्य सूचना आयोग द्वारा तैयार किये जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन प्रपत्र–1

क्रम संख्या	लोक प्राधिकार का नाम	लोक सूचना पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वित्तीय वर्ष 2023–24 में लो0सू0पदा0 के पास प्राप्त आवेदनों की संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	लम्बित आवेदनों की संख्या	कुल प्राप्त शुल्क	कितने मामले में सूचना नहीं दी गयी उसकी संख्या (धारा 8 एवं 9 के तहत)	कितने मामलों में राज्य सूचना आयोग द्वारा लो0सू0पदा0 पर आर्थिक दण्ड तथा अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी उनकी संख्या	आयोग द्वारा निर्धारित आर्थिक दण्ड की कुल राशि	वसुली की गयी कुल राशि	अभ्युक्ति
1	मुख्यालय स्तर पर लोक सूचना पदाधिकारी										
2	क्षेत्रीय कार्यालयों के लोक सूचना पदाधिकारी										
3	निदेशालय										
4	निगम										
5	बोर्ड										
6	प्राधिकार										
7	निकाय										
8	अन्य										
9	कुल योग										

टेप्पणीः– (क) अपना प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी0 डी0, फ्लौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।
ख) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–25 के तहत नियम 3 (ख) में निहित प्रावधान के तहत जो मामले हों उनके संबंध में प्रतिवेदन।
ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के नियम 3 (च) एवं (छ) में विहित् प्रावधानों के तहत् विभाग द्वारा किये गये प्रयास के प्रसंग में प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी0 डी0, फ्लौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।
घ) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–25 के तहत नियम 3 (घ) में विहित प्रावधानों के तहत् किसी अधिकारी के विरूद्ध किए गए अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रसंग में, यदि कोई हो तो प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी0डी0 फ्लौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित केया जाय।

प्रथम अपीलीय प्राधिकार से संबंधित प्रतिवेदन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के तहत राज्य सूचना आयोग द्वारा तैयार किये जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन प्रपत्र–2

क्रम संख्या	लोक प्राधिकार का नाम	प्रथम अपीलीय पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रथम अपीलीय पदा0 के पास प्राप्त आवेदनों की संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	लम्बित आवेदनों की संख्या	कुल प्राप्त शुल्क	कितने मामले में सूचना नहीं दी गयी उसकी संख्या (धारा 8 एवं 9 के तहत)	अभ्युक्ति
1	मुख्यालय स्तर पर प्रथम अपीलीय पदाधिकारी							
2	क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रथम अपीलीय पदाधिकारी							
3	निदेशालय							
4	निगम							
5	बोर्ड							
6	प्राधिकार							
7	निकाय							
8	अन्य							
9	कुल योग							

टिप्पणी:– (क) अपना प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी0 डी0, फ्लौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

(ख) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–25 के तहत नियम 3 (ख) में निहित प्रावधान के तहत जो मामले हों उनके संबंध में प्रतिवेदन।

(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 के नियम 3 (च) एवं (छ) में विहित् प्रावधानों के तहत् विभाग द्वारा किये गये प्रयास के प्रसंग में प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी0 डी0, फ्लौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।

(घ) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–25 के तहत नियम 3 (घ) में विहित प्रावधानों के तहत् किसी अधिकारी के विरूद्ध किए गए अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रसंग में, यदि कोई हो तो प्रतिवेदन कम्प्यूटरीकृत कराकर सी0डी0 फ्लौपी एवं लिखित रूप में आयोग को समर्पित किया जाय।